न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

चरण संख्याः–386 / 2020 पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 188 आर.टी.ए.

1 श्रवण कुमार पुत्र साहबराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 13, कुम्भाराम आटा चक्की के पास, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– वादी

बनाम्

1 साहबराम पुत्र श्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 13, कुम्भाराम आटा चक्की के पास, जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

उपस्थित :– – प्रतिवादीगण

1. श्री राजन कुमार गाबा – अधिवक्ता वादी
2. श्री सुमित कुमार अरोड़ा – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

–:निर्णयः–

दिनांक 20/05/2024

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 16 एलएलडब्लयू ए तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 99/95 के पत्थर नम्बर 109/227 (35) किला नम्बर 10, 11, 12, 19, 20 कुल किला 5 कुल क्षेत्रफल 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि दफा 3 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जिसमें वादी का उक्त कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा जन्म से हक व हिस्सा है वादी के पिता, वादी का हक मारने की गर्ज से वर्तमान में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्तरित करने हेतु तत्पर है ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी संख्या 1 कृषि भूमि को विक्रय करने में कामयाब हो जाता है, तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी, इस कारण वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 01 अपने नाम दफा 3 वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियो को रहन, बैय व अन्तरित करने से निषिद्व रहे।

यह कि वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी का दफा 3 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण जन्म से हक व हिस्सा है और वे इसी अनुसार घोषणा करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से वादी को प्राप्त हिस्सा को अपने हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने निजि स्वार्थो के वशिभूत होकर वादी का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने हेतु तत्पर है उक्त कृषि भूमि में गेहूं की फसल काश्त की हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी सख्या 1 अपने निजी स्वार्थो के वशीभूत होकर वादी का हक मारने की गर्ज से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि को विक्रय करने की फिराक में है वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन बैय व अन्तरित नही करने हेतु निवेदन किया तो वे ऐसा मानने से इन्कार हो गये। यही वाद कारण है

अतः बाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि घोषणा इस आशय की जारी फरमाई जावे किं वाद पत्र की चरण संख्या 03 में दर्ज कृषि भूमि में वादी, 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

(ख) कि शाश्वत् ब्यादेश विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का जारी फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियो की रहन, बैय व अन्तरित करने से निषेध रहे।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ओर से अधिवक्ता समित अरोड़ा ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने राजीनामा पेश किया जिसमें चक 16 एलएलडब्लयू ए तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 103/95 के पत्थर नम्बर 109/227 (35) किला नम्बर 10, 11, 12, 19, 20 कुल किला 5 कुल क्षेत्रफल 1.265 हैक्टेयर में वादी को पत्थर नम्बर 109/227 (35) किला नम्बर 20/0.158 है. (इन्द्राज जाखड़ की कृषि भूमि के चिपते) हिस्सा 1/8 कब्जा सौंप दिया गया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नही है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नही है इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है–

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है कि:– चक 16 एलएलडब्लयू ए तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 103/95 के पत्थर नम्बर 109/227 (35) किला नम्बर 20/0.158 है. कुल 0.158 है. (इन्द्राज जाखड़ की कृषि भूमि के चिपते) हिस्सा 1/8 का वादी श्रवण कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनसार प्रतिवादी सं. 1 साहबराम का उक्त खाते से हिस्सा कम करने के आदेश दिए जाते है। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो, तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार वसूल करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को मेरे हस्ताक्षरित व न्यायालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ